न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:– श्री मुकुट सिह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
36 / 21	10.05.2021	14-6-21

उनवान

1. श्री हेमसिंह पुत्र श्री श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

प्रार्थी:–

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास
2. राकेश सिंह पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

अप्रार्थीगण:–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. श्री जगन सिंह गुर्जर वकील प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी की ओर से इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है.–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उप पंजीयक किशनगढबास से दिनांक 11.06.2020 को तबादलानामा/विनिमय विलेख सख्या 202003359100236 पंजीबद्ध कराया था जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से उक्त तबादलानामा/विनिमय विलेख का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया। परतु अप्रार्थी संख्या 01 ने अवगत कराया कि पंजीबद्ध विनिमय दस्तावेजो का एल.आर.सी. मे ई–धरती 1.0 पर हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नही हो पा रहा है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने पर न्यायालय श्रीमान मे यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) किशनगढबास को आदेश दिये जावे कि वो प्रार्थी के द्वारा पंजीबद्ध कराये गये तबादलानामा/विनिमय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर मन्जूर करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संवत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड तबादलानामा/विनिमय विलेख दिनांक 11.06.2020 क्रमांक 202003359100236 के अनुसार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व राजस्व पत्रादि की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 835 रकबा 0.4300 हे0 मे से 1/4 हि0 वाके अलमदीका वो खसरा सं0 1855 रकबा 0.9400 हे0 में से 1/4 हि0, 1376 रकबा 0.1500 हे0 में 1/2 हि0 में से 157/250 हि0 वाके ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर से प्रार्थी हेमसिंह पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बघेरीकलां के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर आराजी खसरा नंबर 888 रकबा 0.6800 हे0 मे 25/27 हि0 में से 487/787 हि0 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास पर अप्रार्थी संख्या 2/राकेश सिंह पुत्र रामलाल, गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के हिस्से आराजी के स्थान पर प्रार्थी/हेमसिंह पुत्र श्योनारायण गुर्जर, बघेरीकलां के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड पत्रादि में दर्ज किया जावे तथा इसी कदर खसरा नंबर 888 रकबा 0.6800 हे0 में 25/27 हि0 में से 487/787 हि0 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास से अप्रार्थी संख्या 2/राकेश सिंह पुत्र रामलाल गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर आराजी खसरा संख्या 835 रकबा 0.4300 हे0 मे से 1/4 हि0 वाके अलमदीका वो खसरा संख्या 1855 रकबा 0.9400 हे0 में से 1/4 हि0, 1376 रकबा 0.1500 हे0 मे 1/2 हि0 मे से 157/250 हि0 वाके ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर प्रार्थी हेमसिंह पुत्र श्योनारायण गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के हिस्से आराजी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2/राकेश सिंह के नाम का अंकन मुताबिक विनिमय विलेख/तबादलानामा दिनांक 11.06.2020 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज वो मन्जूर करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner